प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 18/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

"वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान" पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 29 जनवरी, 2020 को "वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान" पर परामर्श पत्र पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां आमंत्रित की थी । हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 26 फरवरी, 2020 और 11 मार्च, 2020 रखी गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय–सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में औद्योगिक संगठनों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 11 मार्च, 2020 और प्रति–टिप्पणियों के लिए 25 मार्च, 2020 करने का विनिश्चय किया गया है। तिथि बढ़ाने के किसी और अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) को advmn@.trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए उनसे टेलीफोन नंबर +91–11–23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।